FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0024 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/01/2026 10:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 27/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:54 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/01/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/01/2026 10:41:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARISAR KARAYAL, PANCHYAT SAMATI HINDOLI, JILA BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAHUL VERMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH VERMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOVINDPURA ROPARA, LUNIYAWAS,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOVINDPURA ROPARA, LUNIYAWAS,JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVRAJ MEENA		पिता:RANGLAL MEENA	1. KAKORIYA,DEOLI,TONK,RAJAS
2	PIYUSH KUMAR JAIN		पिता:CHIRANJILAL JAIN	1. NASIRDA,DEOLI,TONK,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,निवेदन है कि दिनांक 15.01.2026 को परिवादी श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री जगदीश जाति रेगर उम्र 29 साल निवासी गोविन्दपुरा रोपाडा लुनियावास जयपुर जिला जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बड़गावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि मुझे दिनांक 13.01.2026 को शाम करीब 5 बजे देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली का फोन आया। बोला कि विकास अधिकारी पीयूष कुमार जैन आपकी ग्राम पंचायत का निरीक्षण करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सबकुछ निरीक्षण में सही रहे तो पीयूष कुमार जैन विकास अधिकारी ने कहा कि 35,000 रूपये लेकर मेरे पास आ जाना। आपकी पंचायत बडगांव का निरीक्षण करना है। महोदय जी मै किसी भी प्रकार की रिश्वत के रूप में राशि किसी अधिकारी/कर्मचारी को नही देना चाहता। मै देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी एवं पीयूष कुमार जैन विकास अधिकारी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं इत्यादि। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी राहुल वर्मा से कार्यालय में पदस्थिपित श्री मनोज कुमार कानि से परिचय करवाया जाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदयात मुनासिब की गई।तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मालखाना से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवाकर श्री मनोज कुमार कानि को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री राहुल वर्मा को डिजीटल वाईस रिकार्डर को बन्द चालू करने की विधि समझाई गई। श्री मनोज कुमार कानि 452 मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के परिवादी श्री राहुल वर्मा के साथ परिवादी के प्राईवेट वाहन से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के निर्देश दिये जाकर पंचायत समिति हिण्डोली क्षेत्र रवाना किया गया। समय 4.20 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि मय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय परिवादी राहुल वर्मा के परिवादी के प्राईवट वाहन से वापस चौकी पर आये तथा कानिस्टेबल मनोज कुमार द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को मन उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मै व परिवादी मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के चौकी हाजा से रवाना होकर हिण्डोली के उनियारा चौराहे पर पहुंचे, जहां पर मैने निर्देशानुसार डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू करके गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री राहुल वर्मा को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु श्री देवराज मीणा प्रगति विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली व श्री पीयूष जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के पास रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुये आस पास ही मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे बन्द हालात में देकर बताया कि मै आपके पास रवाना होकर पंचायत समिति हिण्डोली के बाहर जाकर मैने मेरे मोबाईल से श्री देवराज मीणा के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल किया और देवराज मीणा को पंचायत समिति के बाहर बुलाया, थोडी देर बाद में देवराज मीणा पंचायत समिति के बाहर आकर मेरे से मिला जिससे मेरी रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता हो गई है, देवराज मीणा ने ग्राम पंचायत बडगांव का श्री पीयूष कुमार जैन बिडीओ साहब से निरीक्षण करवाने की एवज में 35 हजार रूपये रिश्वत देने के लिए कहा तो मैने देवराज मीणा से 35 हजार से कम करने के लिए काफी निवेदन किया तो देवराज मीणा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि देने के लिए राजी हो गया है। श्री पीयूष कुमार जैन बिडीओ साहब को रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध में मेरे व देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के मध्य जो भी वार्ता हुई है, वह इस डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। इसके बाद मै व परिवादी मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के वापस चौकी हाजा पर आये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री राहुल वर्मा से रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन बाबत पूछा तो परिवादी राहुल वर्मा ने श्री मनोज कुमार कानि द्वारा बताये कथनों की पुष्टि की गई। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू कर गोपनीय सत्यापन वार्ता को सुना तो परिवादी एवं मनोज कुमार के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से रिश्वत राशि व्यवस्था करने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि मै एक दो दिन में पैसो का इंतजाम करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 16.01.2026 को कार्यालय में पदस्थिपित श्री मनोज कानि ने बताया कि मेरे मोबाईल पर परिवादी श्री राहुल वर्मा ने

सूचना दी कि मेरे मोबाईल पर आज थोडी देर पहले श्री देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली ने वाट्सअप कॉल करके बताया कि तुम मेरे से मिल लो फिर मै जयपुर निकलूगां इस पर मैने देवराज मीणा को कहा कि मै आपसे एक घंटे करीब बाद मिलता हूं। उक्त सूचना पर श्री मनोज कानि को कार्यालय से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी राहुल वर्मा से सम्पर्क कर परिवादी व देवराज मीणा के बीच होने वार्ता को रिकोर्ड करने की हिदायत देकर हिण्डोली क्षेत्र रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि उपस्थित कार्यालय आया। कानि ने मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को पेश किया तथा हालात निवेदन किये कि मै चौकी बून्दी से मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के रवाना होकर हिण्डोली बाईपास पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री राहुल वर्मा मौजूद मिला, जिन्होने मन कानिस्टेबल को बताया कि देवराज मीणा मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। जिस पर मन कानिस्टेलब ने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द चालू करने की विधि को समझाकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू स्थिति में सुपुर्द कर पंचायत समिति हिण्डोली की तरफ रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुये आस पास ही मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे बन्द हालात में देकर बताया कि मै आपके पास रवाना होकर पंचायत समिति हिण्डोली के पास पहुंचा, जहां से मैने मेरे मोबाईल से श्री देवराज मीणा के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल किया तो देवराज मीणा ने मुझे उसकी सरकारी क्वार्टर में बुलाया, जिस पर मै रवाना होकर देवराज मीणा की क्वार्टर में पहुंचा तो वहां पर देवराज मीणा मौजूद मिला जिसने मेरे से पूर्व में हुई में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि देने के लिए कहा तो मेरे को मजबूरी में मेरे पास रखे 10 हजार रूपये देने पडे तथा बाकी के रिश्वत राशि 20 हजार रूपये सोमवार को देने के लिए कहा है। मेरे द्वारा देवराज मीणा से बिडीओ साहब के लिए पूछा तो देवराज मीणा ने कहा कि अभी आ जायेगे थोडी देर बाद बिडीओ साहब। मै मेरे व देवराज मीणा के बीच रिश्वत मांग एवं मेरे द्वारा दी गई 10 हजार रूपये की राशि के सम्बन्ध में जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू करके रिकोर्ड हुई वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि होना पाया गया। फिर इसके थोडी देर बाद मन कानिस्टेबल ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू करके परिवादी को श्री पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी हिण्डोली के पास रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु पंचायत समिति हिण्डोली रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुये आस पास ही मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे बन्द हालात में देकर बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर पंचायत समिति हिण्डोली पहुंचा, जहां बिडीओ साहब उनके चैम्बर में मौजूद मिले जिनसे मेरी रिश्वत सम्बन्धी स्पष्ट वार्ता नही हो पाई। फिर पंचायत समिति हिण्डोली से रवाना होकर वापस आपके पास आया हूं। मेरे व बिडीओ साहब के बीच जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू करके रिकोर्ड हुई वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर परिवादी श्री राहुल वर्मा को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर मौके पर छोडकर मन कानि मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के रवाना होकर चौकी हाजा उपस्थित आया, डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को आपके समक्ष पेश किया। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू करके रिकोर्ड वार्ताओ को सुना तो श्री मनोज कुमार कानि के कथनो की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। इसके उपरान्त कार्यालय में पदस्थिपित श्री मनोज कानि ने बताया कि मेरे मोबाईल पर परिवादी श्री राहुल वर्मा ने सूचना दी कि मुझे टेण्डर पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बिडीओ साहब श्री पीयूष कुमार जैन बुला रहे है, बिडीओ साहब मेरे से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता कर सकते है। उक्त सूचना पर मालखाने से डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के निकलवाकर श्री मनोज कानि को सुपुर्द कर परिवादी राहुल वर्मा से सम्पर्क कर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु हिण्डोली क्षेत्र रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि उपस्थित कार्यालय आया। कानि ने मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को पेश किया तथा हालात निवेदन किये कि मै चौकी बून्दी से मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के रवाना होकर हिण्डोली बाईपास पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री राहुल वर्मा मौजूद मिला, जिन्होने मन कानिस्टेबल को बताया कि मुझे बिडीओ साहब टेण्डर पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बुला रहे है, जो हो सकता है मेरे से रिश्वत सम्बन्धी वार्ता कर ले। जिस पर मन कानिस्टेलब ने परिवादी को डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द चालू करने की विधि को समझाकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू स्थिति में सुपुर्द कर पंचायत समिति हिण्डोली की तरफ रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे पीछे अपनी उपस्थिती छिपाते हुये आस पास ही मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे बन्द हालात में देकर बताया कि मै आपके पास रवाना होकर पंचायत समिति हिण्डोली में बिडीओ साहब श्री पीयूष कुमार जैन के चैम्बर में पहुचां । जहां पर बिडीओ साहब मौजूद मिले जिनसे ग्राम पंचायत बडगांव के टेण्डर की पत्रावली पर बिडीओ साहब ने मेरे हस्ताक्षर करवाये थे, इस दौरान बिडीओ साहब से मेरे व देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी हिण्डोली के बीच हुई

रिश्वत राशि 30 हजार रूपये के सम्बन्ध में बताया तो बिडीओ साहब ने अपनी सहमति दी। मेरे व बिडीओ साहब के बीच जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकोर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड हो गई है। जिस पर मन कानि द्वारा परिवादी को सोमवार के दिन शेष रिश्वत राशि का इंतजाम करके कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर मौके पर छोडा एवं मन कानि मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के रवाना हो चौकी हाजा पर आया। डिजीटल वाईस रिकोर्ड आपको सुपुर्द किया गया। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकोर्डर को चालू करके रिकोर्ड वार्ताओ को सुना तो श्री मनोज कुमार कानि के कथनो की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 18.01.2026 समय 5.30 पीएम पर दिनांक 9.01.2026 सोमवार को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना प्रस्तावित होने से ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करवाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक स्पेशल- 01 दिनांक 18.01.2026 से कार्यालय में पदस्थापित श्री राम सिंह कानि का उपवन सरंक्षक वन मण्डल बून्दी रवाना किया गया। तत्पश्चात श्री राम सिंह कानि कार्यालय उप वन सरंक्षक बून्दी से दिनांक 19.01.2026 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु गवाह श्री रामावतार चौपदार, वन रक्षक एवं श्री बन्टी कुमार मीणा वन रक्षक बून्दी के नाम लाकर पेश किया तथा दोनो को दिनांक 19.01.2026 को समय 7.30 एएम पर कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी पर उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया। दिनांक 19.01.2026 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार पुत्र श्री दशरथ चोपदार जाति चोपदार उम्र 28 साल निवासी ग्राम हापोलाई थाना देई जिला बून्दी हाल वन रक्षक उपवन संरक्षक बून्दी मोबाईल नम्बर एवं श्री बन्टी कुमार मीणा पुत्र श्री श्योजीलाल जाति मीणा उम्र 24 साल निवासं मरां पोस्ट सादेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वनरक्षक कार्यालय उपवन सरंक्षक बून्दी मोबाईल नम्बर उपस्थित आये, जिनको कार्यालय में ही रहने की हिदायत देकर बिठाया गया। इसके उपरान्त परिवादी श्री राहुल कुमार वर्मा उपस्थित एसीबी चौकी बून्दी आया। जिसने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै आज रिश्वत में दी जाने वाली शेष राशि 20 हजार रूपये की व्यवस्था करके आया हूं। परिवादी श्री राहुल वर्मा का पूर्व से कार्यालय में मौजूद स्वतंत्र गवाहान रामावतार चोपदार व श्री बन्टी कुमार मीणा से परिचय करवाया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढकर एवं मालखाना से डिजीटल वाईस रिकोर्डर निकलवाकर रिकोर्डशुदा वार्ताओ को चलाकर सुनाया गया तो उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही करने में सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री जगदीश वर्मा जाति रेंगर उम्र 29 साल निवासी गोविन्दपुरा रोपाडा लूनियावास जयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये मन उप अधीक्षक हरीश भारती के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक ऩोट पांच सौ रूपये 4QE 544068 2 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7SA 008927 3 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7AL 604187 4 एक ऩोट पांच सौ रूपये 9AP 249397 5 एक ऩोट पांच सौ रूपये 2FC 703753 6 एक ऩोट पांच सौ रूपये 9SR 540043 7 एक ऩोट पांच सौ रूपये 6WN 840644 8 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7EL 880771 9 एक ऩोट पांच सौ रूपये 5DE 393137 10 एक ऩोट पांच सौ रूपये 3NR 322135 11 एक ऩोट पांच सौ रूपये 0GQ 992373 12 एक ऩोट पांच सौ रूपये 0KE 987025 13 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8EP 090363 14 एक ऩोट पांच सौ रूपये 5MG 046876 15 एक ऩोट पांच सौ रूपये 2HH 551186 16 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7DN 907982 17 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7DN 907983 18 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7DN 907984 19 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7DN 907986 20 एक ऩोट पांच सौ रूपये 0EV 268115 21 एक ऩोट पांच सौ रूपये 6DB 315754 22 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8MH 561758 23 एक ऩोट पांच सौ रूपये 7DN 907987 24 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8TL 599313 25 एक ऩोट पांच सौ रूपये 2NK 651595 26 एक ऩोट पांच सौ रूपये 3MN 338518 27 एक ऩोट पांच सौ रूपये 6CE 984086 28 एक ऩोट पांच सौ रूपये 0UE 817972 29 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8LH 286071 30 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8CC 956340 31 एक ऩोट पांच सौ रूपये 9PN 771131 32 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8GP 319991 33 एक ऩोट पांच सौ रूपये 8UL 479163 34 एक ऩोट पांच सौ रूपये 4TP 542487 35 एक ऩोट पांच सौ रूपये 4VA 518159 36 एक ऩोट पांच सौ रूपये 4WL 195526 37 एक ऩोट पांच सौ रूपये 5MK 269909 38 एक ऩोट पांच सौ रूपये 4GH 550861 39 एक ऩोट पांच सौ रूपये 6MW 125333 40 एक ऩोट पांच सौ रूपये 9RH 926061 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये, श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी गवाह श्री रामावतार चोपदार से लिवाई गई। इसके बाद फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि द्वारा परिवादी श्री राहुल वर्मा की पेंट की दाहिनीं जेब में रखवाया तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आपकी जेब में रखे फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से ना छूये और ना ही बार बार पेंट की जेब में हाथ

डाले तथा आरोपी के द्वारा रिश्वत मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे देवे। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्क्न व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन हरीश भारती उप अधीक्षक पुलिस मय श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि, श्री विक्रम सिंह कानि 72 श्री मनोज कुमार कानि 452 मय चालक श्री प्रेम प्रकाश एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार व श्री बन्टी कुमार मीणा मय परिवादी श्री राहुल वर्मा मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड मय ट्रेप बॉक्स मय मय ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से कस्बा हिण्डोली रवाना हुआ तथा ट्रेप कार्यवाही की विडियोग्राफी करने हेतु सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। इसके उपरान्त मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106, श्री विक्रम सिहं कानि 72 श्री मनोज कुमार कानि 452 मय चालक श्री प्रेम प्रकाश एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार व श्री बन्टी कुमार मीणा मय परिवादी श्री राहुल वर्मा मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड मय ट्रेप बॉक्स मय मय ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली समस्त सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से कस्बा हिण्डोली पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री राहुल वर्मा को मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू करके रिश्वत लेनदेन हेतु आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के पास कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली रवाना किया गया एवं निगरानी हेतु कानि मनोज व विक्रम को परिवादी के पीछे पीछे रवाना कर परिवादी का इशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी का अन्य जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान भी आसपास अपनी उपस्थिती छुपाते हुयें मुकीम रहे। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा एवं परिवादी के पीछे पीछे श्री विक्रम सिंह कानि व श्री मनोज कानि मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये, परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकोर्डर को बन्द कर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय पंचायत समिति में उपस्थित नही मिला, मेरे द्वारा इधर उधर देखने पर वहां पर मौजूद नही मिला। जिस पर मै वापस पंचायत समिति कार्यालय से रवाना होकर आपके पास आया हूं। इसके बाद मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के करीब 20-25 मिनट तक हिण्डोली कस्बे में ही रूके रहे तथा फिर परिवादी के मोबाईल से आरोपी देवराज मीणा के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल करवाकर मोबाईल का स्पीकर ऑन करके दोनो के बीच वार्ता करवाई तथा वार्ता को डिजीटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी देवराज मीणा से मिलने के लिए पूछा तो देवराज मीणा ने बताया कि वह आज पंचायत समिति नही आया है तथा शाम को हिण्डोली आयेगा तब मिल लेगा। उक्त वार्ता के बाद मन उप अधीक्षक ने आरोपी देवराज मीणा के आने तक इंतजार करने हेतु कहा तो परिवादी राहुल ने बताया कि मेरे पिताजी की तबियत खराब चल रही है इसलिए मुझे गांव जाना है। परिवादी के पिताजी की तबियत खराब होने से परिवादी आरोपी देवराज मीणा के शाम तक आने का इंतजार नही कर सकता है इसलिए ट्रेप कार्यवाही का आयोजन आईन्दा से किया जावेगा।तत्पश्चात मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री राहुल वर्मा मय ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली समस्त सामग्री के चालक श्री प्रेम प्रकाश के दोनो वाहनो सरकारी एवं प्राईवेट से कस्बा हिण्डोली से कार्यालय बून्दी हेतु रवाना हुये। इसके बाद मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री राहुल वर्मा मय ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली समस्त सामग्री के चालक श्री प्रेम प्रकाश के दोनो वाहनो सरकारी एवं प्राईवेट से कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी वापस आये तथा स्वतंत्र गवाह श्री बन्टी कुमार मीणा से परिवादी की जेब में रखे फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो को निकालकर एक सादा लिफाफे में रखवाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड

कानि 106 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के मध्य दिनांक 15.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी राहुल वर्मा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके उपरान्त परिवादी श्री राहुल वर्मा तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के मध्य दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी राहुल वर्मा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद परिवादी श्री राहुल वर्मा तथा आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी राहुल वर्मा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा तथा आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता चतुर्थ जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी राहुल वर्मा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके उपरान्त दिनांक 15.01.2026 व 16.01.2026 को दौरान रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु डिजीटल वाईस रिकोर्डर में वार्ताओ को रिकोर्ड करने हेतु प्रयुक्त में लिये दोनो मैमोरी कार्ड को एक सादे लिफाफे में रखकर मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर के श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि 106 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालाखाने में रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रामावतार चौपदार व श्री बन्टी कुमार मीणा को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही हेतु सूचित करने बाबत निर्देशित कर चौकी एसीबी बून्दी से सकुशल रूखस्त किया गया। दिनांक 26.01.2026 को जर्ये दूरभाष परिवादी श्री राहुल वर्मा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी देवराज मीणा ने मुझे रिश्वत राशि लेकर दिनांक 27.01.2026 को कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली में बुलाया है, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को दिनांक 27.01.2026 को समय करीब 11.30 एएम पर उनियारा तिराया हिण्डोली के पास गोपनीयता बनाये रखने एवं उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के एसीबी स्टॉफ एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 27.01.2026 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी पर उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 27.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जावेगा। दिनांक 27.01.2026 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रामावतार चौपदार वन रक्षक एवं श्री बन्टी कुमार मीणा वन रक्षक कार्यालय एसीबी चौकी पर उपस्थित आये जिनको गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी पर बैठाया गया। तत्पश्चात एसीबी चौकी मालखाना को जर्ये मालखाना इंचार्ज श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि से मालखाना खुलवाकर डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड को निकलवाया एवं दिनांक 19.01.2026 को मालखाने में सुरक्षित रखे फिनाफ्थलीन पाउडर लगे नोटो के लिफाफे को स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार से निकलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया एवं कार्यालय में पदस्थापित एसीबी के जाप्ते तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में सतर्क रहकर गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। इसके उपरान्त मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता श्री देवेन्द्र सिहं हैड कानि, श्री राम सिंह कानि, श्री विक्रम सिंह कानि, श्री मनोज कुमार कानि मय डिजीटल वाईस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड के एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रामावतार चोपदार व श्री बन्टी कुमार मीणा मय सरकारी बोलेरो मय चालक प्रेम प्रकाश व एक प्राईवेट वाहन मय रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के उनियारा तिराहा हिण्डोली रवाना हुआ। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी व

प्राईवेट वाहन मय चालक मय ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के उनियारा तिराहा हिण्डोली पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री राहुल वर्मा मय मोटर साईकिल के मौजूद मिला। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 20 हजार के नोटो के लिफाफे को निकलवाकर, उक्त लिफाफे में से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20 हजार रूपये के नोटो को निकलवाकर सीधे ही परिवादी श्री राहुल वर्मा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनीं जेब में रखवाये गये एवं उक्त लिफाफे को नष्ट किया गया । इसके बाद परिवादी को वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को बन्द हालात में देकर एवं आरोपी के पास रिश्वत लेनदेन करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकोर्ड को चालू करने की हिदायत देकर एवं मनोज व विक्रम कानि गणो को पंचायत समिति से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे को देखने एवं मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने की हिदायत देकर परिवादी के साथ उसकी मोटर साईकिल से कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली रवाना किया गया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी के जाप्ता मय वाहन मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के गोपनीयता बनाये रखते हुये रवाना होकर तहसील तिराया के पास मेंडी रोड हिण्डोली पहुंचा। इसके उपरान्त समय 11.54 एएम पर श्री विक्रम सिंह कानि. 72 ने जर्ये मोबाईल फोन वार्ता कर आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारा द्वारा परिवादी श्री राहुल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के तहसील चौराहा मेण्डी रोड से रवाना होकर कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली परिसर के बाहर पहुंचे, जहां पर परिवादी राहुल वर्मा एवं श्री विक्रम सिहं कानि व श्री मनोज कुमार कानि एक व्यक्ति को राउण्ड अप किये हुये उपस्थित मिले। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री राहुल वर्मा ने अवगत कराया कि जिस व्यक्ति को श्री विक्रम सिंह कानि व श्री मनोज कुमार कानि राउण्डअप करके खडे है वही व्यक्ति आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी है जिसने मेरे से खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली श्री पीयूष कुमार जैन के नाम पर ग्राम पंचायत बडगांव के निरीक्षण की एवज में 20 हजार रिश्वत राशि लेकर अपने कार्यालय की स्वयं की टेबल की रेक नम्बर 02 में रखकर पंचायत समिति के कार्यालय से बाहर आ गया था, जिस पर मैने श्री विक्रम सिहं कानि व श्री मनोज कुमार कानि की तरफ पूर्व निर्धारित इशारा करके रिश्वत लेने की जानकारी देने पर उक्त दोनो ने आरोपी देवराज मीणा को पंचायत समिति के बाहर राउण्डअप कर लिया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कानि विक्रम सिंह व मनोज कुमार द्वारा राउण्डअप किये गये व्यक्ति से अपना नाम व पद का परिचय देकर उससे अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी होना बताया । डिटेनशुदा आरोपी देवराज मीणा से परिवादी से रिश्वत राशि 20 हजार रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी देवराज मीणा ने बताया कि यह पैसा मैने श्री पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के कहने पर श्री राहुल वर्मा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडगांव पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के निरीक्षण करने की एवज में लेकर मेरे कार्यालय में स्वयं की टेबल की रेक नम्बर 02 में प्लास्टिक की थेली के उपर रखे है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी देवराज मीणा के एक हाथ को कलाई के उपर से श्री राम सिंह कानि व दूसरे हाथ को श्री मनोज कानि से कलाई के उपर से पकडवाकर मय एसीबी जाप्ते मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली दिगर सामग्री के पंचायत समिति हिण्डोली परिसर के बाहर से आरोपी के कार्यालय में पहुंचा। जहां पर आरोपी देवराज मीणा से परिवादी राहुल वर्मा से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने अपनी कुर्सी के सामने रखी टेबल की तरफ इशारा करके बताया कि राहुल वर्मा से रिश्वत राशि 20 हजार रूपये प्राप्त कर इसी टेबल की रेक नम्बर 02 में प्लास्टिक की थेली के उपर रखी है। मन उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री बन्टी कुमार मीणा से आरोपी के बताये अनुसार टेबल की रेक नम्बर 02 को खुलवाकर उक्त रेक की तलाशी लिवाई गई तो उक्त रेक में परिवादी से ली गई रिश्वत की राशि 20 हजार रूपये बरामद हुये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री बन्टी कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखवाया गया । आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के कार्यालय में रखी टेबल की रेक नम्बर 02 से बरामशुदा रिश्वत राशि 20 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री बन्टी कुमार मीणा के पास से प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान स्वतंत्र गवाह रामावतार चोपदार से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये। इसके उपरान्त मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप टीम के डिटेनशुदा आरोपी देवराज मीणा प्र्रगति प्रसार अधिकारी के कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके उपरान्त देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो

कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अगूंठे को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के क्रम में आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के स्वयं के कार्यालय में रखी टेबल की रेक नम्बर 02 में प्लास्टिक थेली के उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त प्लास्टिक थेली पर हरे रंग से अंग्रेजी में आई एम नोट प्लास्टिक व हिंदी में मै प्लास्टिक नही हूं लिखा हुआ है। उक्त प्लास्टिक थेली का धोवन लिये जाने हेतु एक कपडे की चिन्दी से प्लास्टिक थेली को आपस में स्पर्श कर रगड गया। इसके उपरान्त उक्त चिन्दी का धोवन लिये जाने हेतु एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में प्लास्टिक थेली से स्पर्श कर आपस मे रगडी गई चिन्दी को गिलास में भरे पानी के घोल में धोवन लिया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क टी-1, टी-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त प्लास्टिक की थैली व कपडे की चिन्दी पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क पी.सी. अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रियल मी 9 प्रो 5जी कम्पनी का मोडल नम्बर आर. एम. एक्स. 3471 बरंग गहरा नीला मिला, जिसमें आरोपी द्वारा एक सिम एयरटेल कम्पनी की उपयोग में लेना बताया, सिम के नम्बर होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपीगणो के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। कार्यवाही में परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव के निरीक्षण सम्बन्धी दस्तावेजो को आरोपी देवराज मीणा से चाहे जाने पर आरोपी द्वारा बताया कि ग्राम पंचायतो के निरीक्षण सम्बन्धी आदेश पंचायत समिति कार्यालय से विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा जारी किये जाते है। उक्त आदेश मेरे पास नही है। ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण सम्बन्धी आदेश मैने पंचायत समिति हिण्डोली कार्यरत मुलजमानो का एक पीएस हिण्डोली नाम से वाट्सअप ग्रुप बना रखा है उक्त आदेश को मैने उसी ग्रुप में देखा था। उक्त आदेश पंचायत समिति हिण्डोली से नियमानुसार प्राप्त किया जावेगा। उक्त ट्रेप कार्यवाही एवं बरामदगी के दौरान आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली द्वारा दौराने रिश्वत राशि बरामदगी के उक्त रिश्वत राशि बडगांव ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए परिवादी से श्री पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के नाम से लेना बताया है, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के हमराह लेकर श्री पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के कार्यालय में पहुंचकर तलाश किया तो उक्त खण्ड विकास अधिकारी उनके कार्यालय में मौजूद नही मिला तथा इसके उपरान्त आरोपी देवराज मीणा के मोबाईल नम्बर से श्री पीयूष कुमार जैन के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया तो पीयूष कुमार जैन का मोबाईल स्वीच ऑफ बताया गया। आरोपी पीयूष कुमार जैन को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगते ही उक्त आरोपी ने अपना मोबाईल बन्द करके कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली से फरार हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी को परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडगांव से ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण करवाने की एवज में आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के नाम पर 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री रामवतार चोपदार स्वतंत्र गवाह के द्वारा करवाई गई। उपरोक्त आरोपीगणों देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी व पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध पाया गया। कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी को दिनांक 15.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम एवं दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय तथा आज दिनांक 27.01.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि " मै मेरी आवाज की जांच नही करवाना चाहता हूं "। नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त समय 03.20 पी.एम. पर आरोपी देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के

विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चोपदार से लिवाई गई तो आरोपी के पास पहने हुये कपडो के अलावा किसी प्रकार की राशि एवं वस्तु नही मिली एवं ना ही कब्जे ब्यूरों लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार उसके ससुर श्री राजेश कुमार मीणा को दी गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में मन आईओ द्वारा परिवादी की निशादेही से ट्रेप कार्यवाही एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके उपरान्त श्री तेज सिंह कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति हिण्डोली ने कार्यालय पंचायतत समिति हिण्डोली के पत्र क्रमांक 123 दिनांक 12.01.2026 एवं 228 दिनांक 13.01.2026 से निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम कार्यक्रम जारी किये गये है उक्त आदेशो में परिवादी के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण दिनांक 12.01.2026 व 15.01.2026 को करने हेतु अंकित किया गया है। उक्त आदेश कार्यवाही में आवश्यक होने से शामिल कार्यवाही किया गया । इसके पश्चात मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते मय आरोपी देवराज मीणा को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से आरोपी के आवास की खाना तलाशी लेने हेतु कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली के पास स्थित पंचायत समिति के सरकारी आवास रवाना हुआ। तत्पश्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी देवराज मीणा को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल के सरकारी/प्राइवेट वाहनों से आरोपी के पंचायत समिति हिण्डोली के सरकारी आवास पर खाना तलाशी हेतु पहुंचे। इसके उपरान्त मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी देवराज मीणा की मौजूदगी में आरोपी के आवास की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। खाना तलाशी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री मनोज कुमार कानि के द्वारा की गई। तत्पश्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी देवराज मीणा को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से कस्बा हिण्डोली से एसीबी चौकी बून्दी रवाना हुआ। इसके पश्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी देवराज मीणा को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी आया तथा मुल्जिम को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के मध्य दिनांक 27.01.2026 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी राहुल वर्मा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी देवराज मीणा प्रगति प्रसार अधिकारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानि 452 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके उपरान्त परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य दिनांक 15.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम एवं परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय तथा दिनांक 16.01.2025 को परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी व आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय जो मूल डिजीटल वाईस रिकोर्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड तीनो वार्ताओं को UMORE कम्पनी के 8 GB/G25 के 04 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी ¼Copy½ किया गया एवं हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपी किये गये पेन ड्राईव में से दो पेन ड्राईव आरोपीगणो के लिए, एक पेन ड्राईव एफएसएल परीक्षण हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं एक पेन ड्राईव अनसील्ड आईओ के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । इसके पश्चात परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी तथा आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य दिनांक 16.01.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता चतुर्थ एवं दिनांक 27.01.2026 को परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी तथा आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकाररी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकोर्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे Chiptron MICROSD CARD कम्पनी के 4 जीबी के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड दोनो वार्ताओं को EDENIC 16GB/A26 कम्पनी के 16 जीबी के 04 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक

कॉपी ¼Copy½ किया गया एवं हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपी किये गये पेन ड्राईव में से दो पेन ड्राईव आरोपीगणो के लिए, एक पेन ड्राईव एफएसएल परीक्षण हेतु पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं एक पेन ड्राईव अनसील्ड आईओ के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात आरोपी देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा परिवादी राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी से आरोपी पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के नाम पर प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी स्वतंत्र श्री रामावतार चोपदार द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सरकारी मोबाईल में लगे KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकारी लेपटॉप के माध्यम से मूल मैमोरी कार्ड से EDENIC 16GB/A26 कम्पनी के 16 जीबी के 03 पृथक-पृथक पेन ड्राईव में लिया जाकर कॉपी ¼Copy½ किया गया है एवं हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपीशुदा दो पेन ड्राईव आरोपीगणो के लिए कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया एवं एक पेन ड्राईव आईओ के लिए अनसील रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री राहुल वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडगांव पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी से स्वयं के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण करने की एवज आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली द्वारा आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के नाम से 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 15.01.2026 को लिखित रूप मे एसीबी चोकी बून्दी पर प्रस्तुत की गई। शिकायत का दिनांक 15.01.2026 व दिनांक 16.01.2026 को आरोपीगणो देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी व पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति द्वारा परिवादी श्री राहुल वर्मा से आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के नाम पर परिवादी के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण करने की एवज में 35 हजार रूपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन उपरांत दिनांक 27.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी द्वारा परिवादी श्री राहुल वर्मा से उसके पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण करने की एवज में आरोपी पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के नाम पर 20,000 रूपये रिश्वत प्राप्त कर कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली में स्थित कार्यालय अटल सेवा केन्द्र में स्थित अपने कार्यालय की टेबल की रेक नम्बर 02 में रखी। रिश्वत राशि आरोपी के कार्यालय में स्थित टेबल की रेक नम्बर 02 में प्लास्टिक की थेली के उपर से बरामद की जाकर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण की गई। आरोपी के दायें व बायें दोनों हाथों का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं टेबल की रेक नम्बर 02 में रखी प्लास्टिक की थेली को कपडे की चिन्दी से रगडकर उक्त चिन्दी का धोवन लिया गया तो धोवन रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.01.2026 प्रथम, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.01.2026 द्वितीय, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.01.2026 तृतीय, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.01.2026 चतुर्थ एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 27.01.2026 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई । परिवादी राहुल वर्मा के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव के निरीक्षण हेतु पंचायत समिति हिण्डोली के कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 123 दिनांक 08.01.2026 व पत्र क्रमांक 228 दिनांक 13.01.2026 प्राप्त कर कब्जे ब्यूरों लिया गया। दिनांक 16.01.2026 को परिवादी राहुल वर्मा व आरोपी पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तृतीय व चतुर्थ के अवलोकन से पाया है कि आरोपी पीयूष कुमार जैन परिवादी राहुल वर्मा के पदस्थापन ग्राम पंचायत बडगांव का निरीक्षण करने की एवज में अपने अधीनस्थ पदस्थापित आरोपी देवराज मीणा, प्रगति प्रसार अधिकारी के मार्फत 35 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग करने की सहमति प्रदान करना पाया गया है। दिनांक 27.01.2026 को दौरान ट्रेप कार्यवाही के आरोपी देवराज मीणा के परिवादी श्री राहुल वर्मा से रिश्वत राशि 20 हजार रूपये प्राप्त करने के उपरान्त आरोपी पीयूष कुमार जैन खण्ड विकास अधिकारी को उसके कार्यालय में तलाश किया गया तो उक्त आरोपी उसके कार्यालय में उपस्थित नही मिला तथा इसके उपरान्त आरोपी देवराज मीणा के मोबाईल नम्बर से श्री पीयूष कुमार जैन के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया गया तो पीयूष कुमार जैन का मोबाईल स्वीच ऑफ बताया गया। आरोपी पीयूष कुमार जैन को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगते ही उक्त आरोपी ने अपना मोबाईल बन्द करके कार्यालय पंचायत समिति हिण्डोली से फरार हो गया। आरोपीगण देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी व पीयूष कुमार जैन, खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही

की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (हरीश भारती) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपगण 1.देवराज मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा उम्र 28 साल निवासी ग्राम काकोडिया थाना देवली जिला टोंक हाल प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं 2. पीयूष कुमार जैन पुत्र चिरंजीलाल जैन उम्र 51 साल निवासी ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक हाल खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनीष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा शहर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 508 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 134-38 दिनांक 30.01.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग,राजस्थान, जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2026 10:44:07

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				
2	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)